न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 10 / 2022

भगवानसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार, तहसील वैर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 16.03.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है भगवानसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2022 से तहसीलदार वैर से सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी तहसीलदार वैर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 77 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा तहसीलदार वैर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार वैर से पत्र कमांक एलआर / 2022 / 635 दिनांक 16.03.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं तहसीलदार वैर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार वैर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने व अपील में वर्णित बिन्दु संख्या 1 व 2 के सबंध में सूचना बाबत प्रार्थना की है। तहसीलदार वैर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक पत्र कमांक एलआर / 2022 / 635 दिनांक 16.03.2022 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार वैर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार वैर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर